धीरेन्द्र बहादुर सिंह, प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, गोपालगंज
भरण–पोषण वाद सं0–185/2023
आरती देवी एवं अन्य बनाम चन्दन कुमार
आदेश की तिथि – 03.11.2025

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज।

भरण–पोषण वाद सं0– 185/2023

आरती देवी एवं अन्य .... आवेदिकागण
बनाम
चन्दन कुमार .... विपक्षी

उपस्थित :
धीरेन्द्र बहादुर सिंह,
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गोपालगंज
आदेश की तिथि – 03.11.2025

आदेश

03.11.2025

1. वाद पुकारा गया। आवेदिका न्यायालय मे उपस्थित है। आवेदिका की ओर से आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत पुत्रियों के नाम मे संशोधन हेतु शपथ पत्र समर्थित आवेदन दिया गया। प्रस्तुत वाद एकपक्षीय है।

2. आवेदिका की ओर से कहा गया कि प्रस्ततु वाद आवेदिका अपने दो पुत्रियों के साथ भरण–पोषण हेतु दाखिल की है। आवेदिका की ओर से निवेदन किया गया कि त्रुटि के कारण वाद पत्र मे आवेदिका के पुत्रियों का नाम गलत अंकित हो गया है। अतः न्यायहित मे आवेदिका के पुत्री ''अंशु कुमारी'' के स्थान पर ''अंशु भारती'' एवं ''कुमारी परी'' के स्थान पर ''प्रिया सोनम'' संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए। आवेदिका की ओर से अंशु भारती व प्रिया सोनम का जन्म प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है।

3. आवेदिका को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद एकपक्षीय है। प्रस्तुत वाद बहस हेतु निर्धारित है। आवेदिका की ओर से अपनी दोनों पुत्रियों अंशु भारती व प्रिया सोनम का जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

4. उपरोक्त वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक मे आवेदिका का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन के आलोक में वाद पत्र में ''अंशु कुमारी'' के स्थान पर ''अंशु कुमारी उर्फ अंशु भारती'' एवं ''कुमारी परी'' के स्थान पर ''कुमारी परी उर्फ प्रिया सोनम'' को नियमानुसार संशोधन करें।

वाद दिनांक 04.12.2025 वास्ते बहस हेतु।

लेखापित

प्रधान न्या0